निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 29/24
दायरा दिनांक :– 17.05.2024
निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

उनवान

1. मोहन आयु 75 वर्ष श्री रतना जाति गुर्जर निवासी रारोती तह0 व जिला बारां राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. सोहन आयु 72 वर्ष पुत्र श्री रतना जाति गुर्जर निवासी रारोती तह0 जिला बारां राज0
2. सन्जू आयु 42 वर्ष पुत्र श्री मदन जाति गुर्जर निवासी रारोती तह0 जिला बारां राज0
3. कैलाश बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व श्री मदन जातिगुर्जर निवासी रारोती तह0 बारां
4. किसकिन्धा आयु 45 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि स्व प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी रारोती हाल मुकाम बाबजी नगर बारां तह0 ज़िला बारां राज0
5. सावित्री आयु 38 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री धनराज जाति गुर्जर निवासी रारोती हाल मुकाम मारवाड़ा बस्ती बारां तह0 जिला बारां राज0
6. मुकलेश आयु 33 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि मनीष जाति गुर्जर निवासी रारोती हाल मुकाम बावड़ीखेड़ा तह0 जिला बारां राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां राज0

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,131 व

136 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार मीना एड0–प्रार्थी
2. श्री चैनसिंह सिरोहिया एड0– अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,131 व 136 एल0 आर0 एक्ट विरुद्व अप्रार्थीगण द्वारा इस आशय का पेश किया गया यह है कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वाके ग्राम रारोती तहसील बारां जिला बारां के खाता संख्या नया 211 पुराना 0 से खसरा न0 906/746 रुकबा 1.25 हे0 जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादी/प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या नया 294 पुराना 195 खसरा न0 746 रुकबा 1.25 हे0 स्थित है। जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या नया 341 पुराना 278 खसरा न0 907/746 रुकबा 1.25 हे0 स्थित है। जो

उप खंण्ड अधिकारी
बारां

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त र्णित आराजियात वाद की विषयवस्तु है। जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजी के मौके पर पास-पास अवस्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में अनुसार पूर्व में सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी अनुसार एक ज्याहा खसरा न0 746 रुकबा 3.75 हे0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 ने बाहमी विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने अपने हक व हिस्से रुकबा अनुसार मौक पर काबिज काश्त चले आ रहें है। मद् न0 1 उपमद् अ,ब, व स, में अंकित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 मौक पर बाहमी विभाजन अनुरुप अपने अपने रुकबे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण क्रम 7 व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11.06.2015 को राजस्व शिविर लोक अदालत ग्राम पंचायत सम्बलपुर में विवादित आराजी खसरा न0 746 रुकबा 3.75 हे0 का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 के मध्ये रुकबे का बराबर-बराबर अर्थात् प्रत्येक हिस्सेदार का 1.25 हे0 बंटवारा करते हुये। विवादित आराजी पर मौके पर जाये बिना राजस्व नक्शा लठ्ठा/ट्रेस मे तरमीम को त्रुटीपूर्ण करते हुये राजस्व नक्शा ट्रेस में मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार वादी/प्रार्थी की आराजी उत्तर- दक्षिण के मध्य में अप्रार्थीगण/प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी दक्षिण में एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 की आराजी उत्तर में होने के बावजूद इसके विपरित कार्य करते हुये वादी/प्रार्थी की आराजी पूर्व-पश्चिम के मध्य में प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 की आराजी पश्चिम में दर्शाते हुये नक्शा तरमीम कर दिया है। जिस कारण मौके पर आराजी पर वाद के पक्षकारान का कब्जा जमाबन्दी मे अंकित रुकबा अनुसार सही है। परन्तु राजस्व नक्शा में विवादित भूमि की तरमीम कब्जा अनुसार पूर्व से पश्चिम के लम्बवत् के स्थान पर उत्तर से दक्षिण लम्बवत् कर दी गयी है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ क व ख के माध्यम से समझा जा सकता है। उक्त राजस्व नक्षा लठ्ठा/ट्रेस में हुयी त्रुटी को दुरुस्त करने हेतु वादी कई बार अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 7 को निवेदन कर चुका है। इसके बावजूद मौके पर नक्शा राजस्व लठ्ठा में की गई तरमीम को दुरूस्त नही किया गया हैं जिस कारण वाद के पक्षकारान के मध्य सीमाओं सम्बन्धी विवाद को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। विवादित आराजी के पश्चिम दिशा में वाद के पक्षकारान के आराजी पर आवगमन बाबत् रास्ता विद्यमान है एवं पूर्व दिशा में खाता संख्या नया 325 पुराना 319 से खसरा न0 728 रुकबा 0.44 हे0 आराजी सिंचाई विभाग के नहर का धौंरा है जो वाद के पक्षकारान की आराजी की सिंचाई करने का साधन है। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 ने उक्त विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा सिंचाई अनुरुप पूर्व से पष्चिम लम्बवत किया हुआ है। ताकि किसी भी पक्षकार को सिंचाई का पानी अपने कब्जे की आराजी पर ले जाने में व आराजी पर आने जाने में कोई व्यवधान कारित नही हो, परन्तु प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 7 व उसके राजस्व कमचारियों विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड नक्शे में त्रुटी पूर्ण तरमीम की देने से प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

न0 728 के लम्बवत दर्शाने के कारण अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 वादी/प्रार्थी की ..जी की सिंचाई में व्यवधान कारित कर पानी के आवगमन को बाधित करने की धमकी दे ..है। इस कारण वादी/प्रार्थी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड नक्शा लठ्ठा/ट्रैस में ..ुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। उक्त विवादित आराजियात वर्तमान जमाबन्दीयों में वर्णित रुकबे अनुसार सही होने परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौके पर/आराजी पर जाये विंवादित आराजियात की तरमीम राजस्व नक्शा लठ्ठा/ट्रैस में त्रुटीपूर्ण करने व उक्त तरमीम अप्रार्थी क्रम 7 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना गलत तौर पर लापरवाही पमर्ए तरीके से बिना मौके देखे किये जाने से मौका स्थल पर वाद के पक्षकारान के मध्य सीमाकन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो गये है। तथा मौके पर लडाई--झगडा होने की नोबत आ गयी है। उक्त गलत नक्शा तरमीम किये जाने से वादी/प्रार्थी के हित प्रभावित हुये है ओर प्रार्थी/वादी पीडीत पक्षकार है तथा प्रार्थी विवादित आराजी मद् न0 1 की उपमद् अ, ब, स, में अंकित आराजी के मौके पर काबिज स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा लठ्ठा/ट्रैस में तरमीम को दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी/वादी उसके खाते की आराजी की पैमाईश करवाने हेतु पटवारी के पास जाने एवं पटवारी द्वारा नक्शे में हुयी उक्त त्रुटी को मौके पर जाकर पक्षकारान को बताने के पश्चात् प्रार्थी/वादी व प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के मध्य आराजियात के सीमाकन सम्बन्धी विवाद पैदा हो गये है। जिस कारण प्रार्थी/वादी उक्त त्रुटीपूर्ण नक्शा तरमीम को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों व नक्शो का संधारण व उनकी देखरेख का दायित्व अप्रार्थी क्रम 7 का है। एवं अप्रार्थी क्रम 7 का मोलिक कर्तव्य है कि वह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शो को कानूनन सही तरिके से मेन्टेन करे तथा समय–समय पर उक्त जमाबन्दीयो व नक्शो में आवश्यक इन्द्राज कर उन्हें संरक्षित करे तथा आवश्यक होने पर कानूनन उनमें संशोधन करे। परन्तु प्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी क्रम 7 को उक्त नक्शा तरमीम में की गयी त्रुटी को सशोधित करनें व प्रार्थी/वादी को राहत पंहुचाने हुते कई बार लिखित व मौखिक निवेदन करने के पश्चात भी प्रार्थी/वादी क्रम 7 द्वारा प्रार्थी/वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिये जाने एवं न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने की कहने से प्रार्थी/वादी के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प विद्यमान नही है। तथा प्रार्थी/वादी, अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 7 से धारा 111 व 128 एल0 आर0 एक्ट में विहित कर प्रक्रियॉ के अनुसार में अविलम्ब वस्तु स्थिति अनुसार मौका रिपार्ट प्राप्त का अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 7 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी के राजस्व नक्शे लठ्ठे/ट्रैस की तरमीम में की गयी त्रुटी को दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। अप्रार्थी क्रम 7 व उसके अधिनस्थो द्वारा दिनांक 11.06.2015 को विवादित आराजी खसरा न0 746 रुकबा 3.25 हे0 वाके ग्राम रारोती का वाद के पक्षकारान के मध्य बंटवारा करते समय मौके पर पक्षकारान की कब्जा स्थिति के विपरित मौका स्थिति व परिशिष्ठ क मौके पर वास्तविक मौका स्थिति व

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

परिशिष्ठ ख त्रुटीपुर्ण नक्शा तरमीम से समझा जा सकता है। उक्त नक्शा तरममिम त्रुटीपुर्ण हो जाने के कारण वादी की आराजी मध्य में हो जाने से इस वर्ष जबरन प्रतिवादी क्रम 1 वादी की आराजी सिंचाई का पानी का धौंरा व प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 वादी की आराजी आने जाने से रास्ता अवरुद्व करने पर तुले हुये है तथा दिनांक 05.05.2024 को अप्रार्थी क्रम 1 व अपार्थी क्रम 2 ता 6 ने प्रार्थी को धमकी दी की प्रार्थी की आराजी का पानी व रास्ता बन्द करके रहेंगे। जिसका उन्है कोई विरुद्व उक्त वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाने व राजस्व नक्शे लठ्ठे/ट्रैस की तरमीम में की गयी त्रुटी को दुरुस्त करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। वाद कारण अन्तिम बार अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 7 से नक्शा ट्रैस दुरुस्त करने का निवेदन करने व अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा उक्त त्रुटी को न्यायालय प्रकरण होने की कहकर दुरुस्त करने से इन्कार करने पर दिनांक 06.05.2024 को बमुकाम बारां तहसील बारां में उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 व 02 ता 06 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रारोती सम्वत 2073–76 खाता सं0 नया 294 पुराना 195, नकल जमाबन्दी ग्राम रारोती सम्वत 2073–76 खाता सं0 नया 325 पुराना 319, नकल जमाबन्दी ग्राम रारोती सम्वत 2073–76 खाता सं0 नया 211 पुराना 0, नकल जमाबन्दी ग्राम रारोती सम्वत 2073–76 खाता सं0 341 पुराना 278, नकल खतोनी जमाबन्दी ग्राम रारोती सम्वत 2069–72 खाता सं0 नया 195 पुराना 197, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रारोती खाता संख्या 341 पुराना 278, नकल विभाजन प्रस्ताव पटवार मण्डल सम्बलपुर पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी के वाके ग्राम रारोती तह0 बारां में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पूर्व में सम्वत् 2069–72 को जमाबन्दी में ख0 न0 746 रुकबा 3.75 हे0 प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के बाहमी विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत सम्बलपुर में विवादित आराजी ख0 न0 746 रुकबा 3.75 हे0 का प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के मध्य रुकबे का बराबर–बराबर 1.25 हे0 प्रत्येक का करते हुये विवादित आराजी का मौके पर जाये। बिना राजस्व नक्षा लठ्ठा मे तरमीम कर दिया गया। मौके पर की आराजी उत्तर–दक्षिण के मध्य में आराजी अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी दक्षिण में तथा अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 की आराजी उत्तर दिशा में होने के बावजूद प्रार्थी की भूमि पूर्व–पश्चिम में मध्य, अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी पूर्व में तथा अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 की आराजी पश्चिम में दर्शाते हुए नक्शा तरमीम कर दिया है। मौके पर कब्जा सही है। परन्तु नक्शा में तरमीम गलत कर दी गई है। प्रार्थी उक्त नकषा लठ्ठा में गलत तरमीम को दुरुस्त कराने का अधिकारी हे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नक्शा दुरुस्त किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

बहस के दौरान वकील अप्राथ्री गण का कथन है कि अप्रार्थी गण की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। नक्शा तरमीम गलत किया है। उसे दुरूस्त कर दिया जावें तो अप्रार्थी गण को कोर्ट आपत्ति नही है। क्योकि मौके पर कब्जा अनुसार नक्शे मे तरमीम नही की गई है इसलिए नक्शा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से अप्रार्थी गण को कोई आपत्ति नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रारोती के खाता सं0 211 के मोहनलाल पुत्र रतनलाल एवं खाता सं0 341 के अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 का नाम दर्ज है। खाता सं0 294 के खसरा न0 746 रुकबा 1.25 हे0 पूर्व दिशा, खाता सं0 211 के खसरा न0 906/746 रुकबा 1.25 हे0 मध्य एवं खाता सं0 341 के खसरा न0 907/746 रुकबा 1.25 हे0 पश्चिम दिशा में दर्ज रिकार्ड है परन्तु प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर कब्जा नही होना बताया है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी गण को नहर का पानी लेने व खेत पर आने जाने के रास्ते सम्बन्धित विवाद बना रहेगा। इस कारण प्रार्थी मौके पर अप्रार्थी क्रम का ख0 न0 746 रुकबा 1.25 हे0 दक्षिण दिशा में प्रार्थी का ख न0 906/746 रुकबा 1.25 हे0 मध्य में एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 का ख0 न0 907/746 रुकबा 1.25 हे0 उत्तरी दिशा में कब्जा होने के कारण नक्शा तरमीम दुरूस्त करवाना चाहते है जिसमें अप्रार्थी गण को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा परिशिष्ठ (क)के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती तह0 बारां की आराजी खाता संख्या नया 211 पुराना 0, खसरा नं0 906/746 रकबा 1.25 हे0, खाता संख्या नया 494 पुराना 195, खसरा नं0 746 रकबा 1.25 हे0, तथा खाता संख्या नया 341 पुराना 278 खसरा नं0 907/746 रकबा 1.25 हे0, आराजी का मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 906/746 रकबा 1.25 हे0 मध्य में अप्रार्थी क्रम 1 की खसरा नं0 746 रकबा 1.25 हे0 आराजी दक्षिण में एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 की आराजी 907/746 रकबा 1.25 हे0, उत्तर में नक्शा तरमीम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जातें है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ